#### न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क.-448/2011 संस्थित दिनांक- 26.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। ...

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

 भगवान सिंह पुत्र भैरोंलाल जाति ओझा आयु 31 साल निवासी ग्राम फतेयाबाद थाना चंदेरी, तहसील चंदेरी, जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

### —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 456 के तहत् दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक 10.08.2011 को रात्रि 10:30 बजे फरियादी कल्लू यादव के मानव युक्त आवास में प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने दिनांक 10.08.2011 को रात्रि में अपने घर पर सो रहा था कि रात्र में करीब साढ़े 10:00 बजे फरियादी के छोटे भाई सौरम ने उसे आवाज दी कि भैया कोई अपने घर में घुसा है तो फरियादी कल्लू की नींद खुल गई साथ में ही उसकी पत्नी कृष्णाबाई, तथा उसकी मां श्रीबाई की नींद भी खुल गई, तो सभी ने बल्ब के उजाले में भगवान सिंह को देखा तथा कल्लू के छोटें भाई सौरम को धक्का देकर भाग गया। कल्लू अपराध करने की नियत से घुसा था। कल्लू ने रात्रि में बृजभान तथा जगभान को घटना के बारे में बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट रात्रि में अधिक समय हो जाने के कारण दिनांक—11.08.2011 को फरियादी कल्लू द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—340 / 11 अंतर्गत धारा—456 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—21.02.2017 को फरियादी कल्लू के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये थे। अभियुक्त पर भादिव की धारा 456 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप थे जिसके कारण प्रस्तुत आवेदन स्वीकार न करते हुये निरस्त किया गया तथा अभियुक्त का उक्त अपराध में विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।
- 05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-
  - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.08.11 एवं 11.08.11 की दरमियानी रात में 10:30 बजे अभियुक्त ने फरियादी कल्लू यादव के मानव निवास युक्ति आवास में प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
  - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## सकारण निष्कर्ष

# विचारणीय प्रश्न कमाक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) सिहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सौरम सिंह (अ०सा0—2), श्रीबाई (अ०सा0—3), बृजभान (अ०सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्त लगभग दो साल पहले रात्रि 11:00 बजे उसके घर में चोरी करने घुसा था और उसके घर से चांदी के तीन हजार रूपये के कोड़े चोरी कर ले गया था। फरियादी के अनुसार अभियुक्त को उसके भाई सौरम (अ०सा0—2) ने देख लिया था। फरियादी का अपने मुख्यपरीक्षण में कही भी यह कहना नहीं है कि उसने स्वयं अभियुक्त को अपने घर में अंदर आते हुये या बाहर जाते हुये देखा था।
- 07— फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में कहना है कि घटना के समय वह घर पर नहीं था तथा अपने भाई सौरम व मोहल्लों वालों के साथ घर के बाहर टी०वी० देख रहा था। फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) का यह भी कहना है कि उसने स्वयं ने अभियुक्त को घर में नहीं देखा जब

सौरम ने उसे आकर बताया कि कोई घर में घुसा है तो वह पडोसियों और अपने भाई के साथ घर पर पहुचा था तो उसे वहा पर आरोपी नही मिला। अतः फरियादी कल्लू (अ०सा०–1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों के अनुसार घटना के समय फरियादी घर पर सो नही रहा था बल्कि घर के बाहर मोहल्लों के लोगों एवं भाई सौरम के साथ टीवी देख रहा था तथा उसने स्वयं ने अभियुक्त को घर के अंदर घुसे हुये नही देखा।

- 08— फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) अपने मुख्यपरीक्षण में प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 पर अपने हस्ताक्षर होने तो स्वीकार करता हैं, परन्तु इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में उल्लेखित घटना से नहीं होती है। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय फरियादी घर पर सो रहा था तथा उसके भाई सौरम (अ०सा0—2) के द्वारा घर में अभियुक्त को देखने पर उसके द्वारा फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) को बुलाया गया था जिसके बाद स्वयं फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) ने अभियुक्त को अपने घर से सौरम (अ०सा0—2) को धक्का देकर भागते हुये देखा था। जिसके संबंध में अभियोजन के अनुसार फरियादी के द्वारा प्रदर्श—डी—1 के कथन भी पुलिस को दिये गये हैं, परन्तु फरियादी के न्यायालीन कथनों एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श—डी—1 में गंभीर विरोधाभास की स्थित हैं।
- 09— घटना दिनांक को फरियादी घर पर सो रहा था तथा उसने स्वयं ने अभियुक्त को घर से भागते हुये देखा था इस संबंध में फरियादी के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये अभियोजन घटना के विरुद्ध घर में अभियुक्त को न देखना बताया है। अभियोजन कहानी के अनुसार सबसे पहले फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) के मकान में रात्रि में अभियुक्त को फरियादी के भाई सौरम सिंह (अ०सा0—2) ने देखा था, जिसके बुलाने पर फरियादी सिहत बाकी लोगों ने अभियुक्त को मोके से भागते हुये देखा था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी की निशानदेही पर बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श—पी—2 में घटना स्थल फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) का मकान ही दर्शाया गया है तथा कल्लू (अ०सा0—1) का भी अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्त को उसके मकान में सौरम असा 2 ने देखा था।
- 10— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) के भाई सौरम सिंह (अ०सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना स्थल ही परिवर्तित कर संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही परिवर्तित करते हुये अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में

कथन दिये हैं। सौरम सिंह (अ०सा०—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि रात्रि 09:00 बजे जब वह घर के बाहर बैठा था और उसके बाद अपने घर पर गया तो उसे घर में अचानक भगवान सिंह दिखा, जिसके बाद उसने अपने भाई को इस बारे में बताया तथा जब वह स्वयं और उसका भाई अभियुक्त को देखने गये तो अभियुक्त वहा से भाग गया। सौरम सिंह (अ०सा०—2) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—3 में भी कहना है कि जब उसने अभियुक्त को अपने घर में देखा था तो फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) मोके पर नही था और जब वह कल्लू (अ०सा0—1) को बुलाकर लाया। तो उन्हें घर में कोई नही दिखा अतः इस साक्षी के अनुसार भी फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) ने अभियुक्त को घर में घुसे हुये नही देखा।

- 11— सौरम सिंह (अ०सा0—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में किण्डिका 4 में यह स्पष्ट किया है कि उसका घर कल्लू के घर से 50 से 100 फीट की दूरी पर है तथा कल्लू (अ०सा0—1) उससे अलग रहता है। सौरम सिंह (अ०सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण में ही कहना है कि उसने अभियुक्त को अपने घर में देखा था तथा प्रतिपरीक्षण में किण्डिका—6 में इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि कल्लू के घर में चोरी नहीं हुई थी बल्कि उसके घर में हुई थी। एक ओर फरियादी अभियुक्त को अपने घर में घुसकर चोरी की घटना कारित करना बताता है। वहीं सौरम सिंह (अ०सा0—2) मूल घटना स्थल से 50—100 फीट की दूरी पर अपने मकान में अभियुक्त को रात्रि में देखना बताता है। अतः अभियुक्त ने रात्रि में किसके घर में गृहअतिचार किया था इस संबंध में स्वयं फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) व उसके भाई सौरम सिंह (अ०सा0—2) के कथनों में गंभीर तात्विक विरोधाभास हैं।
- 12— अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय सौरम (अ०सा0—2) के जगाने पर फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) के पत्नी कृष्णाबाई व उसकी मां श्रीबाई की भी नींद खुल गई थी तथा उन लोगों ने भी बल्ब के उजाले में अभियुक्त को सौरम सिंह (अ०सा0—2) को धक्का देकर फरियादी के घर से भागते हुये देखा था। परन्तु उक्त घटना के विपरीत फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह तो कहना है कि उसके परिवार में उसकी पत्नी, मां व बहू रहते है तथा घटना की रात्रि भी वो लोग घर में मौजूद थें, पर उसके परिवार के अन्य किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त को घर से भागते हुये नहीं देखा। अतः कल्लू (अ०सा0—1) के अनुसार घटना दिनांक को अभियुक्त को श्री बाई (अ०सा0—3) जो कि उसकी मां हैं, ने भी अभियुक्त को घर से भागते हुये देखा था।

- 13— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) व सौरम सिंह (अ०सा०—2) दोनों सगे भाई हैं तथा सौरम सिंह (अ०सा०—2) के अनुसार दोनों के ही मकान अलग अलग हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार एवं फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की अनुसार श्री बाई (अ०सा०—3) जो कि उनकी मां हैं, फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) के साथ में निवास करती है। परन्तु उपरोक्त कथनों के विपरीत सौरम सिंह (अ०सा०—2) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—7 में यह कहना है कि श्रीबाई (अ०सा०—3) सिहत उसके दो भाई महेंद्र सिंह व रामायण सिंह उसके साथ ही रहते हैं तथा सौरम सिह (अ०सा०—2) के अनुसार घटना के समय जब अभियुक्त उसके घर में घुसा था उस समय घर में कोई नही था इसलिए उसके अलावा अभियुक्त को किसी ने नही देखा।
- 14— अतः श्री बाई (अ०सा0—2) घटना दिनांक को किसके मकान में निवास करती थी इस संबंध में कल्लू (अ०सा0—1) व सौरम (अ०सा0—2) के कथन आपस में ही विरोधाभासी है तथा ये दोनो ही साक्षी अपने कथनों में यह कहते है कि श्रीबाई ने अभियुक्त को घर से भागते हुये नही देखा। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) की मां श्रीबाई (अ०सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। श्रीबाई (अ०सा0—3) के कथन फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) व सौरम (अ०सा0—2) के कथनों के विरोधाभासी है। श्रीबाई (अ०सा0—3) एक ओर अपने मुख्यपरीक्षण में यह तो कहती है कि घटना दिनांक को रात्रि 12:00 से 01:00 बजे वह अपनी रसोई में सो रही थी, तो उसने भगवान सिंह को घर से निकलकर भागते हुये देखा था। इस साक्षी का यह कहना है कि उसके लडके सौरम (अ०सा0—2) ने उससे आकर कहा था कि घर में कौन घुसा हैं। परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में ही यह कहती है कि घटना के समय उसके घर में वह स्वयं व उसकी बहू थीं तथा घर में उसके लडके सौरम (अ०सा0—2) व कल्लू (अ०सा0—1) नही थें।
- 15— श्रीबाई (अ०सा0—3) का अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि उसने स्वयं ने अपने लड़कों को घटना के बारे में बताया था कि घटना दिनांक को उसके चारों बेटें घर नहीं थे तथा घटना के दूसरे दिन उसके बेटें आये थे तथा उसके लड़के उसके बताये अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। श्रीबाई (अ०सा0—3) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना के समय फरियादी कल्लू (अ०सा0—1) व सौरम (अ०सा0—2) को ही मौके पर उपस्थित न होना बताती हैं जबिक मुख्यपरीक्षण में सौरम (अ०सा0—2) के द्वारा घर में अभियुक्त के होने की जानकारी दिया जाना बताती है। श्रीबाई (अ०सा0—3) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि अभियुक्त उसके घर के बाहर बक्सें पर लात रख कर उसे

तोड रहा था, जबिक ऐसी कोई घटना अभियोजन कहानी के अनुसार घटित नहीं हुई।

- 16— अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में एक ही परिवार के तीन व्यक्ति फरियादी कल्लू (अ०सा0-1) उसका भाई सौरम सिंह (अ०सा0-2) व मां श्रीबाई (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये, परन्तू इन तीनों साक्षियों के कथन एक दूसरे के कथनों से मेल नहीं खाते है वहीं इनमें से किसी भी साक्षी के कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नही है कि वास्तव में अभियक्त किस घर में घुसा था तथा उस घर में किस किस ने अभियुक्त को घर से निकलते हुये भागते हुये देखा था। सौरम सिंह (अ०सा0-2) जहां घटना के समय अपनी मां श्रीाबाई (अ०सा0-3) को उपस्थित न होना बताता है तथा सौरम सिंह (अ०सा0-2) व कल्लू (अ०सा0-1) के अनुसार श्रीबाई (अ०सा0-3) ने अभियुक्त को घर से भागते हुये नहीं देखा। वहीं श्रीबाई (अ०सा०–3) के अनुसार कल्लू (अ०सा०–1) व सौरम सिंह (अ०सा०–2) घटना के समय मौके पर नहीं थें तथा दूसरे दिन आये थें जिस की जानकारी स्वयं उसने दी थी। अतः अभियुक्त किसं घर में घुसा था तथा मौके पर किस किस ने अभियुक्त को घर से निकलकर भागते हुये देखा था, इस संबंध में साक्षियों के कथन एक दूसरे के विरोधाभासी होने के कारण लेषमात्र भी विश्वसनीय नही हैं तथा उक्त संबंध में साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास तात्विक स्वरूप का है।
- 17— घटना के स्वतंत्र साक्षी के रूप में बृजभान (अ०सा०—4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिसको अभियोजन के अनुसार फरियादी कल्लू के बताये अनुसार घटना की जानकारी है तथा इस साक्षी ने स्वयं अभियुक्त को घर से भागते हुये नही देखा, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने का प्रयास किया है, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि उसने श्रीबाई (अ०सा०—3) के बाड़े से श्रीबाई के चिल्लाने पर एक व्यक्ति को भागते हुये तो देखा था, परन्तु वो व्यक्ति अभियुक्त था इसकी जानकारी उसे श्रीबाई ने दी थी। घटना में फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) हैं तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्त को सर्वप्रथम सोरम असा 2 मौके से भागते हुये देखा था तथा कल्लू (अ०सा०—1) के बताये अनुसार ही बृजभान (अ०सा०—4) को घटना की जानकारी थीं परन्तु बृजभान (अ०सा०—4) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह कहना है कि उसे जानकारी नहीं है घटना के समय सौरम कहा था इस साक्षी का कहना है सौरम (अ०सा०—2) उसे मोके पर नहीं मिला। बृजभान (अ०सा0—4) अभियोजन घटना के विपरीत अभियोजन का समर्थन न करते हुये यह कहता है कि घटना के दिन श्रीबाई का कोई भी

लडका मौके पर नहीं था तथा घटना के एक घण्टे बाद ही रिपोर्ट लेख कराई गई जबिक अभियोजन के अनुसार इस साक्षी को स्वयं घटना की जानकारी कल्लू (अ0सा0—1) के द्वारा दी गई थी। यह साक्षी श्रीबाई (अ0सा0—2) के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुचना बताता है तथा घटना स्थल पर श्रीबाई (अ0सा0—2) के लडकों को घटना के समय उपस्थित न होना बताता है। जबिक अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर श्रीबाई (अ0सा0—2) की स्वयं की साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय नहीं है कि अभियुक्त को उसने स्वयं ने मौके से भागते हुये देखा था।

- 18— घटना में फिरियादी कल्लू (अ०सा०—1) जहां स्वयं अपने घर में अभियुक्त को ६ । टना के समय न देखना बताता हैं तथा अभियुक्त को अपने पिरवार के बाकी के सदस्यों के द्वारा ही घर में प्रवेश करते हुये या घर से भागते हुये न देखना बताता है। वहीं सौरम (अ०सा०—2) जिसने अभियोजन कहानी के अनुसार सबसे पहले अभियुक्त को फिरियादी के घर में घुसा हुआ देखा था। उक्त घटना फिरियादी के घर की न होकर अपने घर की होना बताता है। अतः सौरम (अ०सा0—2) के स्वयं के अनुसार उसने अभियुक्त भगवान सिंह को फिरियादी कल्लू (अ०सा0—1) के घर में घुसते हुये या बाहर निकलते हुये नहीं देखा। श्रीबाई (अ०सा0—3) व बृजभान (अ०सा0—4) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है तथा यह दोनों साक्षी घटना के समय फिरियादी व सौरम सिंह (अ०सा0—2) को ही मौके पर उपस्थित न होना बताते हैं, जिससे इन साक्षियों के कथन इस संबंध में लेषमात्र भी विश्वसनीय नहीं है कि उन्होंने स्वयं अभियुक्त को फिरियादी कल्लू (अ०सा0—1) के घर से निकलकर भागते हुये देखा था।
- 19— निश्चित रूप से फरियादी सहित साक्षियों ने घटना के 3 से 4 साल बाद न्यायालय में कथन दिये हैं, जिससे समय के साथ इन साक्षियों के कथनों में मामूली विरोधाभास आना तो स्वभाविक माना जा सकता है, परन्तु फरियादी कल्लू (अ0सा0—1) का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना के समय वह टीवी देख रहा था तथा सौरम (अ0सा0—2) के बताने पर मौके पर पहुचने के पश्चात् उसने अभियुक्त को मौके पर नहीं देखा, जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार यह साक्षी के घटना के समय घर में ही सो रहा था तथा स्वंय फरियादी होकर उसने अभियुक्त को मौके से भागते हुये देखा था। अतः इस साक्षी के कथनों में उत्पन्न हुआ उपरोक्त विरोधाभास मामूली न होकर तात्विक स्वरूप का है।

- 20— सौरम सिंह (अ0सा0—2) जिसके द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार सबसे पहले अभियुक्त को देखकर फरियादी को बताया गया तथा जिसके बाद फरियादी व अन्य लोगों ने अभियुक्त को मौके से भागते हुये देखा, के द्वारा न्यायालय में उपरोक्त कथनों के विपरीत घटना स्थल ही परिवर्तित कर फरियादी के घर से लगभग 100 फीट की दूरी पर अपने घर में अभियुक्त को देखना बताया गया है तथा इस साक्षी के अनुसार उसके अलावा किसी ने भी अभियुक्त को उसके घर में घुसते व बाहर निकलते हुये नही देखा। अतः एक व्यक्ति जिसने स्वयं अभियुक्त को भागते हुये देखा है, उससे यह अपेक्षा नही की जा सकती हे कि वह यही नहीं बता सके कि उसने किस घर से अभियुक्त को भागते हुये देखा था तथा मोके पर और कौन कौन लोग थे, सौरम सिंह (अ0सा0-2) के न्यायालीन कथन एवं उसके द्वारा पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श-डी-2 में गंभीर विरोधाभास हैं तथा कल्लू (अ०सा0-1) व सौरम सिंह (अ0सा0–2) के द्वारा अभियोजन घटना के विपरीत कथन देने के साथ साथ उनके स्वयं के कथनों में भी गंभीर विरोधाभास का होना अभियोजन कहानी के सत्यता की जड पर प्रहार करता है जिससे अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है।
- 21— फरियादी कल्लू (अ०सा०—1), सौरम सिंह (अ०सा०—2) व श्रीबाई (अ०सा०—3) ने अपने कथनो में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त भगवान सिंह उनका पड़ोसी हैं। अभियोजन घटना रात्रि 10:30 बजे की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 में होना लेख है तथा घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 4 किलोमीटर हैं। अतः ज्ञात अभियुक्त एवं थाने घटना स्थल की दूरी को देखते हुये घटना के तुरन्त बाद फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) के द्वारा रिपोर्ट लेख न करा कर घटना के दूसरे दिन सुबह सात बजे बिलंव से रिपोर्ट लेख कराने का कोई कारण नहीं दर्शाया।
- 22— यह उल्लेखनीय है कि प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह (अ०सा०—5) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दिनांक 11.08.11 को सुबह 07:00 बजे लेखबद्ध की गई थी जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 में हैं तथा नरेंद्र सिंह (अ०सा०—5) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है। अभियुक्त की गिरफतारी दिनांक 11.08.11 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध होने के बाद 12:40 लेखबद्ध की गई तथा गिरफतारी के समय अभियुक्त के शरीर पर गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार चोटों के निशान थे, जिसके संबंध में फरियादी कल्लू (अ०सा०—1) का कहना है कि घटना के दूसरे दिन यानी दिनांक 11.08.11 को अभियुक्त रोड पर गालियां दे रहा था जिसे मौके पर पकड़ लिया था। श्रीबाई (अ०सा०—3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्पष्ट

किया है कि उसके लडके सौरम (अ०सा0—2) व अन्य एक दो लडकों ने अभियुक्त को पकड लिया था तथा इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—3 में कहना है कि उसके लडकों ने घटना के दूसरे दिन आरोपी की अच्छी पिटाई की थीं।

- 23— श्रीबाई (अ०सा0—3) व कल्लू (अ०सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन की घटना के दूसरे दिन उन लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा था तथा श्रीबाई का यह कहना है कि उसके लड़कों ने अभियुक्त की मारपीट भी की थी, कि पुष्टि गिरफतारी पत्रक में उल्लेखित अभियुक्त के शरीर पर चोटें होने की प्रविष्टि होती हैं। जिससे यह स्पष्ट होता हे कि दिनांक—11.08.11 को सुबह ही फरियादी व उसके भाईयों ने अभियुक्त के साथ मारपीट की थी और इसी कारण से अभियुक्त के शरीर पर चोटें थीं।
- 24— बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कल्लू (अ०सा०—1) सौरम सिंह (अ०सा०—2) के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की रिपोर्ट से बचने के लिये यह झूटा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। अभियुक्त के साथ दिनांक 11.08.11 को फरियादी पक्ष के द्वारा मारपीट की थी, इसकी पुष्टि श्रीबाई (अ०सा०—3) के व स्वयं कल्लू (अ०सा०—1) के कथनों से होती हैं। पड़ोसी होने के बाद घटना की रात्रि को फरियादी पक्ष के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा विलंब से दूसरे दिन रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई जिसका कोई सदभाविक कारण दर्शित नहीं हैं।
- 25— अभियुक्त घटना दिनांक को फरियादी के घर रात्रि में प्रवेश कर वहां से भागा था, यह फरियादी सिहत सौरम (अ०सा0—2) के कथनों से कहीं से भी प्रमाणित नही होती है। फरियादी सिहत साक्षी अभियुक्त के द्वारा घर में प्रवेश कर चोरी की घटना कारित करना बताते है जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार ऐसी कोई घटना ही घटित नहीं हुई। अतः फरियादी सिहत घटना के शेष साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुआ गंभीर तात्विक विरोधाभास एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के विरूद्ध कथन देने से फरियादी सिहत किसी भी साक्षी के कथनों से अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती तथा साक्षियों के कथनों से अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती हैं। जिसका लाभ अभियुक्तगण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
- 26— किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, वर्तमान प्रकरण अभियोजन अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे

साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक 10.08.11 एवं 11.08.11 की दरमियानी रात में 10:30 बजे अभियुक्त ने फरियादी कल्लू यादव के मानव निवास युक्ति आवास में प्रवेश कर रात्रौं प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित

- 27— फलतः अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र भेरोलाल के विरूद्ध भादवि की धारा 456 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 456 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 28— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा ४२८ द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) ( 11 ) <u>दांडिक प्रकरण क-448/2011</u>